न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 52/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. ओमप्रकाश पुत्र देवाराम जाति गुर्जर निवासी बगडी नगर तह0 सोजत जिला–पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. श्री नरपतसिंह भायल अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक 23/08/2023

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 288 पुराना खाता संख्या 293 की स्थित है, जिसके खसरा नंबर 3515 रकबा 0.2300 है0, खसरा नंबर 3516 रकबा 0.4200 है0, खसरा नंबर 3517 रकबा 0.3000 है0, खसरा नंबर 3519 रकबा 0.8400 है0 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.7900 है0 की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें मुझ वादी का 1/12 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त निहित है। उक्त भूमि में मेरा नाम भैराराम पुत्र देवाराम दर्ज हैं। जबकि मुझ वादी की अन्य खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 970 पुराना खाता संख्या 641 के खसरा नंबर 3531/1 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा नंबर 3532/1 रकबा 0.2300 हैक्टर की स्थित है। जिसमें मेरा नाम भैराराम पुत्र देवाराम दर्ज है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि मुझ वादी के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि थी, जिनके देहान्त के बाद देवाराम के तमाम उत्तराधिकारी/वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, जिस समय मुझ वादी का नाम घरेलू नाम भैराराम पुत्र देवाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि मुझ वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र देवाराम है। मेरे परिवार कार्ड, मतदाता सूची, मतदाता पहिचान पत्र, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजात में मेरा नाम ओमप्रकाश पुत्र देवाराम है। भैराराम पुत्र देवाराम मुझ वादी को अपने घर परिवार व समाज में लाड प्यार से पुकारते है। मेरा वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र देवाराम है। मेरे परिवार में भैराराम पुत्र देवाराम का मेरे अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं। हाल ही में मुझ वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त करने पर मुझ वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का घरेलू नाम भैराराम पुत्र देवाराम दर्ज है। उससे पूर्व मुझ वादी को उक्त नाम बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का नाम भैराराम पुत्र देवाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र देवाराम दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। बिनायदावा दिनांक 11.03.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि के बारे में सर्वप्रथम जानकारी होने से बिनायदावा उत्पन्न हुआ, जो अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व

वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि के पद सख्या 1 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भैराराम पुत्र देवाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र देवाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0 दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा ज0दा0 प्रस्तुत कर अंकित किया कि पैरा संख्या 1 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा बगडी चक द्वितीय में स्थित है। पैरा संख्या 2 से 4 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा संख्या 5 से 9 में वर्णित तथ्यों को न्यायिक प्रक्रिया का बताया है। प्रकरण में तहसीलदार सोजत से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2023/1124 दिनांक 19.07.2023 द्वारा मौका व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बगडी 2 के खाता संख्या 288 के खसरा नंबर 3515, 3516, 3517, 3519 तथा खाता संख्या 641 के खसरा नंबर 3531/1, 3532/1 की जमाबंदी जांच में वादी ओमप्रकाश पुत्र देवाराम का नाम भैराराम पुत्र देवाराम गुर्जर के नाम से दर्ज है, जो वादी अर्थात् ओमप्रकाश पुत्र देवाराम को बचपन मे घर परिवार में लाड प्यार में पुकारने के कारण राजस्व रेकर्ड में भी ओमप्रकाश का नाम भैराराम दर्ज हो गया। वादी के तमाम दस्तावेजों यथा– मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाईसेन्स, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच के आधार पर यह तय होता है कि ओमप्रकाश पुत्र देवाराम गुर्जर ही भेराराम है। अतः रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित होना बताया हैं।

बहस अधिक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 288 के खसरा नंबर 3515, 3516, 3517, 3519 कुल रकबा 1.7900 है0 तथा खाता संख्या 641 के खसरा नंबर 3531/1, 3532/1 कुल रकबा 0.4900 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भैराराम पुत्र देवाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र देवाराम दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार दर्ज किया जाने तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपति नही होना जाहिर किया।

अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड सं0 9139 4265 6646, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति वर्तमान जमाबंदी ख0 नं0 3515, 3516, 3517, 3519, 3531/1, 3532/1 आदि दस्तावेजात पेश किये, सा0मि0 है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड सं0 9139 4265 6646, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति तथा वर्तमान जमाबंदी ख0 नं0 3515, 3516, 3517, 3519, 3531/1, 3532/1 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा फोटो प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड सं0 9139 4265 6646, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र देवाराम गुर्जर अंकित है। तहसीलदार सोजत द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी भेराराम पुत्र देवाराम व ओमप्रकाश पुत्र देवाराम दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है। लिहाजा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यो एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात से संपुष्टि हो जाने से वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तथा उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि में दर्ज खातेदार भेराराम पुत्र देवाराम गुर्जर

दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज किया जाने तथा वादी का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दुरूस्त दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 288 के खसरा नंबर 3515, 3516, 3517, 3519 कुल रकबा 1.7900 है0 तथा खाता संख्या 641 के खसरा नंबर 3531/1, 3532/1 कुल रकबा 0.4900 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भेराराम पुत्र देवाराम गुर्जर दुरूस्त किया जाकर वादी ओमप्रकाश पुत्र भेराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है। तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 23/08/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादी**

1. ओमप्रकाश पुत्र देवाराम जाति गुर्जर निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला–पाली।

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 52 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री नरपतसिंह भायल तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 288 के खसरा नंबर 3515, 3516, 3517, 3519 कुल रकबा 1.7900 है0 तथा खाता संख्या 641 के खसरा नंबर 3531 / 1, 3532 / 1 कुल रकबा 0.4900 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भेराराम पुत्र देवाराम गुर्जर दुरूस्त किया जाकर वादी ओमप्रकाश पुत्र भेराराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया किया जाता है। तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.06.2023 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.